1. रमशी मीना पुत्र श्री मांगीलाल मीना(फौत)
   1/1. छोटी देवी पत्नी रमशी,
   1/2. रामगोपाल पुत्र स्व. रमशी मीना,
   1/3 प्रकाश मीना पुत्र स्व. रमशी मीना,
   1/4. गोपी देवी पुत्री स्व. रमशी मीना,
2. नानगराम मीना पुत्र छोटूराम मीना, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम सुमेल, तहसील व जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।
2. हनुमान पुत्र श्रीनारायण, जाति मीना निवासी ग्राम खानिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री राजकुमार शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेख बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ओर से**

निर्णय

दिनांकः 29.08.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम सुमेल की आराजी खसरा नम्बर 377/811 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा खातेदार छुट्टन पुत्र भौरिया जाति मीना के नाम दर्ज है तथा उक्त आराजीयाज की वसीयत खातेदार द्वारा अपीलान्ट्स के पक्ष में दिनांक 16.03.2006 को उप पंजीयक षष्टम के क्रमांक 19 पर बुक नम्बर 3 की जिल्द संख्या 2 के पृष्ट संख्या 103 पर चस्पा की गई है तथा भूमि के खातेदार छुट्टन पुत्र भौरिया की मृत्यु दिनांक 10.05.1976 को हो चुकी है ऐसे में खातेदार की मृत्यु होने के पश्चात् उक्त भूमि के मालिक, स्वामी अपीलान्ट्स हुये जिनका नाम वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित करवाने हेतु अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर एवं सुनवाई कर उक्त वसीयत एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों के आधार पर दिनांक 30.10.2007 को अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वसीयत अनुसार नामान्तरकरण भरकर पेश करने हेतु पटवारी हल्का को आदेशित किया गया है जिसकी पालना नही होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.06.2008 को पुनः आवेदन प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा न्यायालय में किसी प्रकार की कोई उपस्थिति व कार्यवाही नही की गई और ना ही किसी प्रकार के दस्तावेजा आदि ही प्रस्तुत किया इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध गैर कानूनी रूप से राजस्व अभिलेखों के विपरित खारिज कर दिया गया जो आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर कतई गौर नही किया कि अपीलान्ट्स के हक में रजिस्टर्ड वसीयत के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित होने है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.10.2007 को रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर आदेश दिया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.06.2016 को उपरोक्त आदेश के विरूद्ध उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि कानूनन अधीनस्थ न्यायालय एक ही पत्रावली में दो आदेश पारित नही किये जा सकते किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही पत्रावली में दो आदेश पारित कर भयंकर कानूनी भूल की है जो आदेश विधि विधान के विपरित होने से प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उक्त वसीयत के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति होती तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उक्त वसीयत को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिये थी लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई है और ना ही किसी प्रकार की रिपोर्ट आदि ही दर्ज करवाई गई केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय को भ्रमित करने के उद्देश्य से एक झूठा कपोल कल्पित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके समर्थन में किसी प्रकार के कोई दस्तावेजात भी प्रस्तुत नही किये है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त कानूनी तथ्यों पर बिना कोई गौर किये ही अपना मनमाना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व कैम्प सुमेल में प्रकरण पटवारी/भू अभिलेख रिपोर्ट हेतु नियत था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये केवल मात्र निर्णय करने की जल्दबाजी में उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में कतई नही रही है, अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है तथा अनपढ़ है, अपीलान्ट कई मर्तबा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व कारकूनानों से मिलकर प्रकरण की जानकारी चाही तो अपीलान्ट को यही अवगत कराया गया कि प्रकरण में रिपोर्ट नही आई है, अपीलान्ट ने अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर प्रकरण की नकल हेतु दिनांक 06.08.2019 को आवेदन किया तो तब अपीलान्ट को सर्वप्रथम मालूम हुआ कि दिनांक 27.06.2016 को ही उक्त प्रकरण का अंतिम निस्तारण कर दिया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक

P.T.O.

सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

30.10.2007 को अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण खोलने का आदेश पारित किया गया था जिसकी पालना होना मात्र शेष थी, दिनांक 29.08.2019 को नकल प्राप्त होते ही न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अवलिम्ब उक्त अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी मात्र अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही होना मात्र रही है जिसे न्यायहित में क्षमा किये जाने हेतु अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2016 प्रकरण संख्या 17(04)08 बउनवानी सरकार बनाम रमशी मीना व अन्य को अपास्त किया जाकर उपरोक्त रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपीलान्ट्स के हक में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार की मृत्यु दिनांक 10.05.1976 की हुई है एवं उसकी मृत्यु पश्चात् वसीयत को दिनांक 10.03.2006 को पंजीकृत कराया गया है एवं वादग्रस्त आराजी पैतृक होने के कारण एवं खातेदार के वास्तविक वारिसान की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही होने पर उक्त समस्त तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा प्रकरण में वसीयत को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण कार्यवाही करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार छुट्टन पुत्र भौरिया द्वारा अपनी मृत्यु दिनांक 10.08.1976 से पूर्व दिनांक 08.05.1976 को वसीयत की गई है जिसे दिनांक 10.03.2006 को पंजिकृत भी कराया गया है जबकि किसी भी वसीयत का रजिस्टर्ड होना कानूनन आवश्यक नही है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में वसीयत के गवाहान द्वारा वसीयत के समर्थन में शपथ पत्रादि प्रस्तुत करने पर मुताबिक वसीयत नामान्तरकरण किये जाने में कोई वैधानिक अवरोध नही मानते हुए मुताबिक वसीयत नामान्तरकरण भरने के आदेश दिनांक 30.10.2007 को पटवारी हल्का को जारी किये गये है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करने की बजाय अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2016 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

P.T.O.

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तोवजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।